मंजु कंवर बनाम भिखर सिंह मु.नं 11/23

11/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.5.25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.5.25 को पेश हो	
19.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....खारिज.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील द्राखिल दफतर हो।	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 12/2023

1 श्रीमती मंजू कंवर पुत्री दूलसिंह पत्नी श्री उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गोपालपुरा जिला नागौर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गिरवरसिंह पुत्र दूलसिंह
2 श्रवण सिंह पुत्र दूलसिंह
3 झाबरसिंह पुत्र दूलसिंह
4 महावीर सिह पुत्र दूलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुंगारा तहसील व जिला सीकर।
5 भंवरी कंवर पत्नी सुमेरसिंह
6 उमराव सिंह पुत्र प्रेम कंवर
7 बलवीर सिंह पुत्र प्रेम कंवर
8 पिंकी कंवर पुत्री प्रेम कंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण राजलिया जिला नागौर।
9 धापू कंवर पत्नी देवीसिंह
10 ओमकंवर पत्नी मनोहर सिंह
11 सोनु कंवर पत्नी रामसिंह
12 कौशल्या कंवर पत्नी पूर्णसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 मान कंवर बेवा शोभसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर। (नाम हजफ दिनांक 04.01.2024)
14 उछव कंवर पत्नी भंवर सिंह
15 सुल्तान सिंह पुत्र भंवर सिंह
16 उम्मेद सिंह पुत्र भंवर सिंह
17 सन्जू कंवर पुत्री भंवर सिंह
18 निशा कंवर पुत्री भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19 गोरूसिंह पुत्र रडमल सिंह जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

20 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।

21 तहसीलदार राजस्थान सरकार सीकर जिला सीकर।

22 मगन कंवर बेवा दूलसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांकित 19.09.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा संख्या 11/2010
उनवानी गिरवर सिंह बनाम श्रवण सिंह आदि

अपील संख्या 11/2023

1 श्रीमती मंजू कंवर पुत्री दूलसिंह पत्नी श्री उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गोपालपुरा जिला नागौर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गिरवरसिंह पुत्र दूलसिंह
2 श्रवण सिंह पुत्र दूलसिंह
3 झाबरसिंह पुत्र दूलसिंह
4 महावीर सिह पुत्र दूलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुंगारा तहसील व जिला सीकर।
5 भंवरी कंवर पत्नी सुमेरसिंह

पदन राज... अपील अधिकारी
सीकर

6 उमराव सिंह पुत्र प्रेम कंवर
7 बलवीर सिंह पुत्र प्रेम कंवर
8 पिंकी कंवर पुत्री प्रेम कंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण राजलिया जिला नागौर।
9 धापू कंवर पत्नी देवीसिंह
10 ओमकंवर पत्नी मनोहर सिंह
11 सोनु कंवर पत्नी रामसिंह
12 कौशल्या कंवर पत्नी पूर्णसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 मान कंवर बेवा शोभसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर। (नाम हजफ दिनांक 04.01.2024)
14 उछव कंवर पत्नी भंवर सिंह
15 सुल्तान सिंह पुत्र भंवर सिंह
16 उम्मेद सिंह पुत्र भंवर सिंह
17 सन्जू कंवर पुत्री भंवर सिंह
18 निशा कंवर पुत्री भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर।
19 गोरूसिंह पुत्र रडमल सिंह जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
20 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।
21 तहसीलदार राजस्थान सरकार सीकर जिला सीकर।
22 मगन कंवर बेवा दूलसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 24.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर दावा संख्या 11/2010 उनवानी गिरवर सिंह बनाम श्रवण सिंह आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पो.

–निर्णय–

दिनांकः– 19/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2010 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022, 24.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 22 के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष वादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 1962 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1997 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2092 रकबा 2.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2093 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2094 रकबा 5.40 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर के बाबत एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन का पेश किया कि वादग्रस्त भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां है जो पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा स्व. मलसिंह के खाते, कब्जे, काश्त की थी। मलसिंह की मृत्य होने पर वादग्रस्त भूमि का खाता उनके वारिस किशोर सिंह, शोभसिंह, दूलसिंह एवं मंगेज कंवर के नाम दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता लादूसिंह ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/4 भाग यानि (2.735 हैक्टेयर) भूमि में से 2.25 हैक्टेयर भूमि का एक विकय पत्र दिनांक 28.03.2008 को रेस्पोडेन्ट संख्या 19 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिया। उक्त विकय पत्र को अवैध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में अपीलाधीन वाद पेश किया कि मेरे पिता दूलसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा वादी से विरासत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में प्राप्त भूमि 1/12 कुल 1/4+1/12 = 1/3 भाग में से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/15, 1/15 भाग का काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जिसमें अपीलांट की ओर से जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 19 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र अवैध, शून्य और प्रभावहीन घोषित कर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसका अपीलान्ट द्वारा समुचित जवाब पेश किया गया। समुचित जवाब पेश करने के बाद पत्रावली में दिनांक 04.07.2022 को तनकीयात कायम की गई और पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 11.07.2022 दी गई और उसके बाद 25.07.2022, 26.08.22, 09.09.2022 तथा 16.09.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ने आपस में दुरभिसंधि कर राजीनामा पेश कर दिया। उक्त राजीनामा से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 18 व 22 को वंचित रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ने आपस में मिलकर राजीनामा के अनुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.09.2022 को जारी करवाली तथा उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के आधर पर निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2022 को पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पिता के नाम अवस्थित भूमियों के बाबत एक वाद पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1962, 1997, 2092, 2093, 2094 कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है जो कि पैतृक कृषि भूमियां है। जो पैत्रिक कृषि भूमि होने के बावजूद भी अपने हक व हिस्से से अधिक 2.25 हैक्टेयर भूमि का एक विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 19 के पक्ष में दिनांक 28.03.2008 को निष्पादित एंव पंजीकृत करवा दिया। जबकि उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ता 4 तथा अपीलान्ट की पैत्रिक कृषि भूमियां रही है। उक्त विक्रय पत्र को अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

4 प्रत्येक को अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 में से 1/15, 1/15 हिस्से का अर्थात प्रत्येक को 0.73 हैक्टेयर भूमि का खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जावें। जिसमें अपीलान्ट जो कि प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया। अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 19 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद डिकी किए जाने में सहमति दी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ने जवाब दावे के साथ काउंटर क्लेम पेश किया जिसका अपीलान्ट ने समुचित जवाब पेश किया और पत्रावली वास्ते तनकीयात में कायम की गई। पत्रावली में तनकीयात कायम करने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 19 ने आपस में दुरभिसंधि कर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा के आधार पर प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार सीकर से बंटवारा प्रस्ताव मांगा गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय न तो अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा ना ही बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा ना ही बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट को उसके हक हिस्से की कोई भूमि दी गई। बंटवारा प्रस्ताव साजशी कार्यवाही के अंतर्गत बनाया जाकर तथा उसको आधार मानकर विचारण न्यायालय ने मनमाने रूप से निर्णय व अंतिम डिकी जारी कर दी गई जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली में तनकीयात बनाई गई तथा ना ही किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया तथा न किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने व उस पर प्रदर्श डालने का मौका तक नहीं दिया गया। अपीलाधीन वाद में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4, 22 की ओर से जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने समान ही हमारा हक व हिस्सा है, हमारे पिता स्व. दूलसिंह ने अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया है जो सर्वथा अवैध, शून्य व प्रभावहीन घोषित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समान ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को खातेदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

घोषित किया जावें। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी जवाब दावा को अनदेखा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 19 के मध्य पेश राजीनामा को आधार मानकर तथा उसके प्रस्ताव दिनांक 14.11.2022 प्राप्त हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 19 के पक्ष में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, 19 विचारण न्यायालय उपखण्ड सीकर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 24.11.2022 की आड में अपीलान्ट को विवादित भूमि पर से बलात रूप से बेदखल करने तथा अपीलान्ट के उपयोग उपभोग में बाधा डालने विक्रय व हस्तांतरित करने पर अमादा है। अगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2, 19 अपनी अनुचित अवैध कार्यवाही में सफल हो गये तो अपीलान्ट का न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल होकर अपीलान्ट की अपार क्षति होगी। न्यायहित में तादौराने अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्ण व डिक्री दिनांकित 24.11.2022 को कियान्वयन स्थगित रखा जाना उचित व आवश्यक है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद वादी गिरवर सिंह द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता मलसिंह थे। जिनकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 894/1 रकबा 45 बीघा पुराना जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 1962, 1997, 2092 से 2094 कुल किता 5 कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। मलसिंह का देहान्त हो चुका है। उक्त विवादित भूमि पैतृक एवं अविभाजित कृषि भूमि है। सभी खातेदार शामिल में काश्त करते है। वादी के पिता दुलसिंह को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने प्रभाव में लेकर गोपनीय तरीके से अपने हिस्से से अधिक जमीन का दिनांक 21.04.2008 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादीगण 1 ता 7 प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 8 को जबरदस्ती कब्जा करवाना चाहते है जबकि प्रतिवादी संख्या 8 का किसी भू–भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। भूमि अविभाजित है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादी को उसके हिस्से की 0.73 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारा किया जाकर अलग खसरा नम्बर दर्ज किये जावें। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण 1 ता 8 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5 व 11 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा जवाबदावा पेश कर वाद का खण्डन किया गया एवं काउंटरवाद पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने काउण्टर वाद का खण्डन किया। वाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ने विचारण न्यायालय में राजीनामा पेश कर राजीनामा के अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 8 का 2.25 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त माना है जिसकी ताईद रिपोर्ट तहसीलदार सीकर क्रमांक 1153 दिनांक 24.08.2022 से भी होती है। विचारण न्यायालय ने वाद वादी व काउण्टर वाद प्रतिवादी संख्या 8 बरूए राजीनाम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1962, 1997, 2092 से 2094 कुल किता 5 कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर वाके ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर में से प्रतिवादी संख्या 8 गौरूराम को खसरा नम्बर 1997 में रकबा 1.83 हैक्टेयर का एवं खसरा नम्बर 1962 में 0.42 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमियों में से खसरा 1962 रकबा 0.6983 हैक्टेयर में वादी को राजीनामा मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर शामिल करते हुए समस्त भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष की सहमति से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती मंजू कंवर की ओर से प्रस्तुत की गई है। विभाजन प्रस्ताव

मुख्य प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर गिरवर सिंह एवं श्रवण सिंह का ही कब्जा है। मंजू कंवर का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव राजीनामा एवं सहमति के आधार पर विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 मंजू कंवर/अपीलान्ट की ओर से दिनांक 07.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 8 गोरूसिंह के कांउटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम गुंगारा तहसील सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1962, 1997, 2093, 2094 कुल किता 5 कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर भूमियां स्व. मलसिंह जी की थी, भूमियां पैतृक होने के कारण भूमियों पर श्रीमती मगन कंवर, मंजूकंवर, पुत्री दूलसिंह, श्रवण सिंह, गिरवरसिंह, झबरसिंह, महावीर सिंह पुत्र दूलसिंह, भंवरी कंवर, प्रेमकंवर, धापूकंवर, ओमकंवर, सोनू कंवर, कौशल्याकंवर, पुत्रीयां किशोर सिंह, भंवर सिंह पुत्र शोभसिंह राजपूत निवासी सिंहासन तन गुंगारा काबिज काश्तकार है, भूमियां अविभाजित है। दूलसिंह जी के हिस्से में सिर्फ 0.46 हैक्टेयर भूमि आई थी, उन्होंने 2.25 हैक्टेयर भूमि का विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में अवैध रूप से करवाया है तथा उक्त विकय पत्र दिनांक 28.03.2008 के कम में न तो कोई कब्जे का आदान प्रदान हुआ नहीं कन्सीडरेशन का कोई लेन देन हुआ नहीं प्रतिवादी संख्या 08 मौके पर काबिज, काश्तकार है, तथा न ही ट्यूबवेल से उसका कोई संबंध सरोकार है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे में अपीलांट ने अंकित किया है कि स्व. दुलसिंह के बिना सहमति वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रतिवादी संख्या 8 को दिनांक 21.04.2008 को विवादित आराजी अवैध रूप से बिना प्रतिफल प्राप्त किये तथा बिना कब्जा दिये विकय पत्र पंजीयन करवाया है, स्व. दुलसिंह को अपने हिस्से से अधिक भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि विकय करने का कोई अधिकार नहीं था, तथा उक्त अवैध विकय पत्र के आधार पर अवैध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम हुई है, उसको निरस्त किया जाना न्यायोचित है, तथा विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2008 अवैध, शून्य तथा प्रभावहीन है। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 09.09.2022 तक साक्ष्य वादी में नियत चल रही थी। दिनांक 16.09.2022 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.09.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 24.11.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्ष की सहमति अंकित कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4/अपीलांट को न तो साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, न ही विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की सहमति प्रदान की गई है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को सूचित किये बिना उसकी अनूपस्थिति में तैयार किये गये है। विवादित भूमि में अपीलांट का विरासतन पैतृक आधार पर हक हिस्सा है। पैतृक हिस्से में कब्जे का तथ्य कोई मायने नहीं रखता है। विचारण न्यायालय के द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलांट की साक्ष्य प्राप्त किये बिना पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का गुणावगुण पर विवेचन किये बिना केवल वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के राजीनामें के आधार पर विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर